13-01-2022 — पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल दिनेश उर्फ मनोर्ज पुत्र लसाराम, जाति— भील, निवासी— भाटकडा, सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री हरिओम दत्ता उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना [illegible] आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। [illegible] सहायक अभियोजन अधिकारी [illegible] सुनी गई। सहायक अ[illegible] में अंकित तथ्यों

.......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]. जिला [illegible]
सिरोही–30[illegible]001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 17/2021	नम्बर व तारिख काम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 06.5.2020 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल दिनेश उर्फ मनोज पुत्र लसाराम, जाति–भील, निवासी– भाटकडा, सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही में धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध संख्या 113 दिनांक 10.5.2014, 151 दिनांक 03.7.2021, 198 दिनांक 02.10.2018 को दर्ज हुये व भारतीय दण्ड संहिता की धाा 279, 337 के तहत अपराध संख्या 113 दिनांक 06.5.2020 को दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार उक्त मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। जिनमें धारा 19/54 आबाकारी अधिनियम के तहत दर्ज उक्त अपराध संख्या 113 दिनांक 10.5.2014 व 151 दिनांक 03.7.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 113 दिनांक 10.5.2014 व 151 दिनांक 03.7.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 113 दिनांक 10.5.2014 व 151 दिनांक 03.7.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 18.5.2017 व 19.8.2017 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब विक्रय करने संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 06.5.2020 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल दिनेश उर्फ मनोज पुत्र लसाराम, जाति– भील, निवासी– भाटकडा, सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये ... थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस ... सिरोही की ... प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक ... व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस ... में किसी भी शैक्षणिक ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 17/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested